डॉ. मदन लाल गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक राज0।

............प्रार्थी

बनाम

1—श्री अभिषेक जैन पुत्र श्री चन्दन मल जैन एफ.बी.ओ. मैसर्स अभिषेक ट्रेडिंग कम्पनी सुभाष बाजार मालपुरा जिला टोंक राज0। निवासी पाण्डुशिला मन्दिर के पीछे आदर्श नगर मालपुरा जिला टोंक राज0। पिनकोड—304502 मो0 नं0 8890313224

........अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii) एफ.एस. एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित—

1—पेरोकार सरकार।

2—अप्रार्थी श्री अभिषेक जैन स्वयं उप.।

:—निर्णय—: दिनांक 21/8/25

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 04.03.2025 को समय 04:02 पी.एम. पर मैसर्स अभिषेक ट्रेडिंग कम्पनी सुभाष बाजार मालपुरा जिला टोंक पर पहुंचा। वहॉ पर एफ.बी.ओ. एवं प्रोपरायटर की हैसियत से श्री अभिषेक जैन पुत्र श्री चन्दन मल जेन अपने प्रतिष्ठान मैसर्स अभिषेक ट्रेडिंग कम्पनी सुभाष बाजार मालपुरा जिला टोंक पर खाद्य पदार्थ मिठाई नमकीन व अन्य खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला. श्री अभिषेक जैन पुत्र श्री चन्दन मल जेन को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री अभिषेक जैन पुत्र श्री चन्दन मल जेन ने स्वयं को प्रतिष्ठान का मालिक होना बताया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय करने हेतु दुकान में घी, तेल, गुड़, शक्कर, मसाले व कन्फैक्शनरी खाद्य पदाथ्र अलग—अलग ब्राण्ड आदि अन्य खाद्य पदार्थ के साथ—साथ **पान मसाला जाफरी ब्राण्ड (Pan Masala Jafri Brand)** रखा हुआ था, जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने एवं मिलावट की शंका होने पर श्री अभिषेक जैन पुत्र श्री चन्दन मल जैन को फार्म नं. 5 ए में वास्ते नमूना क्रय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रशीद प्राप्त की एवं दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर एफ.बी.ओ. को सूचित कर प्रतियों में विक्रेता श्री अभिषेक जैन पुत्र श्री चन्दन मल जेन व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने स्वयं हस्ताक्षर मय सील मोहर किये व हस्ताक्षर कर तस्दीक किया। एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि दुकान की रैक में रखे हुए 25 नग/पैकेट प्रत्येक 100—100 ग्राम के 20 नग मूल पैक का चयन कर **पान मसाला जाफरी ब्राण्ड (Pan Masala Jafri**

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

Masala Jafri Brand) 100–100 ग्राम 20 नग कुल मात्रा 2 किलोग्राम को 100–100 ग्राम के 5 पैकेट बराबर–बराबर अलग–अलग (एक भाग में 500 ग्राम) भाग तैयार कर, ज्यों का त्यों खाकी कागज से लपेटकर नियामनुसार चार नमूना भाग तैयार किये एवं चारो नमूना भागों के लिए, नियमानुसार लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। प्रत्येक लेबलों पर डी. ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–4303 दर्ज कर, आवेदक ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराकर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। चारों नमूना भागों को अलग–अलग 2 खाकी कागज में लपेटकर गोंद से अच्छी तरह चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–4303 नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारों नमूना भागों को नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

विक्रेता श्री अभिषेक जैन पुत्र श्री चन्दन मल जैन मैसर्स अभिषेक ट्रेडिंग कम्पनी सुभाष बाजार मालपुरा जिला टोंक ने उक्त खाद्य पदार्थ को बतौर वारन्टी कोई बिल प्रस्तुत नहीं किया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2025/393 दिनांक 09.04.2025 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं.एल.एस./877/एक्ट/2025/1165 दिनांक 03.04.2025 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किया गया **पान मसाला जाफरी ब्राण्ड (Pan Masala Jafri Brand)** एफ.एस.एस.ए. की धारा 3(1)(zz)(vii) & 3(1)(ZZ)(Xi) का उल्लधंन करने के कारण **असुरक्षित (Unsafe) व** एफ.एस.एस.ए. की धारा 3(1)(zx) का उल्लघंन के कारण **अवमानक(Substandard)** स्तर का होना पाया गया। उक्त जांच रिपोर्ट के विरूद्ध धारा 46(4) के तहत समयावधि में अप्रार्थी ने पुनः नमूना जॉच हेतु अपील दायर की जिस पर उक्त नमूना पुनः जांच हेतु निदेशक रेफरल फूड लेब मैसूर में भिजवाया गया।

निदेशक रेफरल फूड लेब मैसूर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सर्टिफिकेट नं0 एफटी /एक्यूसीएल/एफ.एस.एस.ए./612 एफ/2025 दिनांक 17.06.2005 के अनुसार विक्रेता से वास्ते

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी श्री अभिषेक जैन स्वयं उपस्थित हुए एवं बहस की तथा बहस में निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ में किसी तरह की मिलावट/दोष नहीं है। यह मानव उपयोग के लिए किसी तरह हानिकारक नहीं है। उक्त खाद्य पदार्थ केवल कुछ मानकों को पूरा नहीं करता है। अतः प्रकरण का न्यूनतम शास्ति के साथ निस्तारण किया जावें।

पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस **पान मसाला जाफरी ब्राण्ड (Pan Masala Jafri Brand)** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है एवं मावे में कुछ ऐसा पदार्थ मिलाया गया है जिससे वह जल्दी खराब हुआ है। अप्रार्थी द्वारा किया गया अपराध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 51 (सहपठित धारा 49) में जुर्माने की श्रेणी में आता है, इसलिए अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावें।

हमने अप्रार्थी एवं पेरोकार सरकार की बहस सुनी एवं बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **पान मसाला जाफरी ब्राण्ड (Pan Masala Jafri Brand)** का नमूना जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 51 के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी पर कुल शास्ति रूपये 50,000/– (अक्षरे पचास हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक से एक माह के अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। एक माह के अन्दर शास्ति जमा नहीं करवाने पर शास्ति वसूली की कार्यवाही हेतु निर्णय प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक को भिजवायी जावें। प्रकरण में लिये गये नमूने को अपील की अवधि व्यतीत होने के पश्चात नियमानुसार नष्ट कर दिया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 21/8/25 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

(रामरतन सौकरिया)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0